

खबर संक्षेप



माई नदी सफाई अभियान का दिखने लगा असर

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिला प्रशासन आयुक्त नगर निगम एवम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में 1 मई से माई नदी पुनर्जीवन मिशन चलाया जा रहा है जिसमें नदी सफाई के साथ साथ नदी में सीधे मिलने वाले नालों के प्राथमिक उपचार की शुरुआत माई घाट के पास की गई है। प्राथमिक उपचार से माई घाट के पास नदी के पानी की गुणवत्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, नगर निगम के केमिस्ट द्वारा बताया गया कि नदी का पानी जो कि पहले काला (ब्लैक) हुआ करता था वर्तमान में भूरा (ग्रे) हो गया है। इसके अलावा जिस पानी की पी. एच. मानक पर वैल्यू, जो कि पहले लगभग 5-6 थी, वर्तमान में 7.9 आयी है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक की सीमा में है, जिससे स्पष्ट है कि आगामी समय में उक्त अभियान के और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

गेंहूँ एवं दाल स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने संबंधी बैठक आज

कटनी। भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जिले के व्यापारियों द्वारा गेंहूँ स्टॉक की जानकारी तथा तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा निर्धारित किये जाने तथा तुअर और उड़द के साथ मसूर के स्टॉक की जमाखोरी को रोकने के संबंध में भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा दालों के स्टॉक की जानकारी प्रति शुक्रवार घोषित की जानी है। इस संबंध में कृषि उपज मंडी एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन में पंजीकृत समस्त गेंहूँ व्यापारियों की बैठक गुरुवार 9 मई को शाम 4 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार ने अध्यक्ष गेंहूँ व्यापारी संघ, अध्यक्ष तुअर, उड़द, चना, मूंग, मसूर दाल एसोसिएशन एवं समस्त गेंहूँ तथा तुअर, उड़द, चना, मूंग, मसूर व्यापारियों को आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु सूचित किया है।

दुराचार के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास



कटनी। युवती से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम राजेन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय ने आरोपी अमित उर्फ सोनु जायसवाल 30 पिता दिनेश जायसवाल निवासी टेढ़ी बाजार गाजीपुर उप्र को 10 साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जियालाल चौधरी ने पेरवी की। पीड़िता एवं आरोपी की पांच साल पहले कटनी में मुलाकात हुई थी। आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर खाना खाने के बहाने एक धर्मशाला में ले गया और शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध में बनाए। बाद में आरोपी शादी करने से मुकर गया। युवती की शिकायत पर महिला थाना में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते ही आरोपी को धारा 376 (2) (एन) में दोष सिद्ध पाते हुए उपरोक्तानुसार दंडित करने का आदेश पारित किया।

घुघरी ग्राम पंचायत का मामला, जलस्तर कम होने से हैंडपंपों से कम निकल रहा पानी डेढ़ महीने से पानी के लिए ग्रामीण परेशान

हरिभूमि न्यूज़ | डीमरखेड़ा

घुघरी गांव में जिम्मेदारों की बेपरवाही के चलते ग्रामीणों को डेढ़ महीने से पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। गांव से गुजरी बेलकुण्ड नदी के सूखने से जल स्तर भी कम हो गया है। जिसके बाद गांव में लगे हैंडपंप भी दम तोड़ने लगे हैं। गांव के सोनू नामदेव, लखन नामदेव, विनोद बर्मन, श्याम सिंह ठाकुर सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव में 25 मार्च से नलों में पानी नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। गर्मी में दूर से पानी लाने ग्रामीण मजबूर हैं।

योजना का नहीं मिल रहा लाभ

गांव के जगत सिंह ठाकुर, राजेन्द्र राजक, मोहम्मद शकील ने बताया कि सरकार की नल जल योजना के तहत ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचने, इसके लिए गांव में घर घर नल कनेक्शन किये गए हैं। गांव में पानी की टंकी का निर्माण भी कराया गया है। ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिलने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का कोई



मतलब नहीं है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए बोर किया गया। बोर बंद है जिससे ही गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में दो बोर हैं, दोनों बोर खराब पड़े हैं। जिससे कि ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में लगे हैंडपंपों और निजी नलकूपों से पानी लाने ग्रामीण मजबूर हैं। गांव से सटकर बेलकुण्ड नदी निकली है। नदी में भी पानी नहीं है। पानी का स्तर नीचे होने से हैंडपंपों से पानी कम निकल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की समस्या और अधिक बढ़ गई है। डेढ़ महीने का समय बीत गया लेकिन पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार गंभीर हैं न तो पीएचई विभाग के अधिकारी गर्मी के इस



मौसम में पानी के न मिलने से गांव के लोग दिक्कत में है। निजी नलकूपों से पानी लाने में भी लोगों में बहस और लड़ाई होती है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिनों पहले विभागीय अधिकारियों ने नल जल योजना की टंकी के बोर से पानी की सफाई शुरू कराया। पानी की सफाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। अब भी ग्रामीण दूसरों पर पानी के लिए आश्रित है।

इनका कहना है

इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, पीएचई के.एस. डामोर ने बताया कि घुघरी में नवीन बोर होना है। इसके लिए कलेक्टर से परामर्श ली गई है। ठेकेदार से भी चर्चा की गई है। तीन-चार दिन में नवीन बोर होगा। बोर होने की बाद ही ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ मिलेगा। चुनाव के चलते नवीन बोर खनन नहीं हो सका, इसलिए कुछ समय लग गया है।

जमुनहा तालाब में मगरमच्छ पकड़ने नहीं मिली सफलता

हरिभूमि न्यूज़ | डीमरखेड़ा

उमरियापान के जमुनहा तालाब में मगरमच्छ पकड़ने के लिए बुधवार को दूसरे दिन भी वाइल्ड लाइफ की टीम ने दिनभर रेस्क्यू किया। लेकिन मगरमच्छ पकड़ में नहीं आ पाया। हालांकि देशााम मगरमच्छ पिंजरे के समीप आता हुआ दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम में शामिल वनरक्षक भगवान राम गुप्ता, रामविनोद मांडवी, वन्य प्राणी प्रेमी धनंजय घोष और नमन चौरसिया ने सुबह से जमुनहा तालाब पहुंचकर मगरमच्छ पकड़ने की कारवाय किया। बाहर रखे पिंजरे को तालाब के अंदर पानी में रखा। मगरमच्छ को खाने के लिए उसका चारा (कई मुर्गे) रखे। क्षेत्र में हल्ला मचाने पर भीड़ जमाए लोगों को वहाँ से हटवाया। कारवाय में वन विभाग का अमला भी शामिल रहा। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मगरमच्छ पकड़ने के लिए पहले दिन तालाब में पानी के

पिंजरे में रखे मुर्गे खा गया मगरमच्छ, मिट्टी में पैर पड़ते ही पानी में चला गया



बाहर पिंजरा लगाकर मगरमच्छ को खाने के लिए चारा रखा गया था। पिंजरे का बाहर का पूरा चारा मगरमच्छ ने खा लिया। मिट्टी में पैर पड़ते ही वह पानी के अंदर चला गया। इसके चलते दूसरे दिन पानी के अंदर रैम्प बनाकर पिंजरे को रखा गया है।

पर्याप्त मात्रा में चारा रखा गया। मगरमच्छ पकड़ने जाने की कारवाय जारी है। उमरियापान के जमुनहा तालाब में बीते दो महीने पहले से प्रतिदिन लोगों को मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल है। मगरमच्छ होने से तालाब में पानी के भीतर सिंचाई की खेती करने वाले और पान बरेजा तैयार कर पानी सिंचाई करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी है। समाजसेवी विजय दुबे, जगन्नाथ मांडवी, नमन चौरसिया, रामजी बर्मन ने

कलश शोभायात्रा के साथ लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं श्रीमद भागवत कल से

हरिभूमि न्यूज़ | कटनी

स्वामी वेंकटेशाचार्य महाराज के सानिध्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजन समिति द्वारा ग्राम हीरापुर कोडिया स्थित मां काली माता की मठिया में आगामी 10 मई से 17 मई तक श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री वेंकटेशाचार्य जी महाराज भागवत कृपा निकुंज प्रमोदवन चित्रकूट धाम द्वारा प्रवचनों की अमृतवाषिणी की जाएगी। धार्मिक आयोजन की शुरुआत कल 9 मई गुरुवार को 3.30 बजे कलश

शोभायात्रा से होगी। कलश शोभायात्रा गांव का भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। इसी कड़ी में 10 मई शुक्रवार को प्रातः प्रायश्चित स्नान, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश एवं प्रथम दिवस श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा का वर्णन आसदी से किया जाएगा। इसी तरह 11 मई शनिवार को मंडप पूजन, विविध पाठ, अर्पण स्थापन, हवन, मंगलाचरण कुंती, भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म, शुकदेव आगमन की कथा, 12 मई रविवार को विदुर चरित्र, कपिल उपाख्यान, जड़भरत चरित्र प्रह्लाद चरित्र की कथा, 13 मई सोमवार को मन्वन्तरों की कथा, समुद्रमंथन, श्री राम

जन्मोत्सव, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की कथा, 14 मई मंगलवार को माखनचोरी, छप्पनभोग की कथा, 15 मई बुधवार को रासलीला, कंस उद्धार, श्रीकृष्ण रूकमिणी मंगल महोत्सव की कथा, 16 मई गुरुवार को सुदामा चरित्र, धर्मोपदेश, कथा विश्राम, चढ़ावोत्री 17 मई शुक्रवार को अष्टम दिवस प्रातः 7 बजे से पूजन, हवन, पूर्णाहुति, विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। कथा का समय सायं 4 बजे से रहेगा। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजन समिति एवं समस्त ग्रामवासियों ने श्रद्धालुओं से आयोजन में पहुंचकर पुण्यलाभ अर्जित करने का आग्रह किया है।

पंचायत व विकासखंड स्तर पर समितियों का किया जाएगा गठन

हरिभूमि न्यूज़ | कटनी

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण एवं लोक जैव विविधता पंजी के निर्माण एवं लाभ प्रभाजन को लेकर उमरियापान वन विभाग कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत में जैव विविधता से संबंधित एक लघु फिल्म दिखाई गई। मास्टर ट्रेनर मोहन नागानी, आर.एल. निगम और वनरक्षक सुधांशु तिवारी ने जैव विविधता और इससे होने वाले लाभ, जैव विविधता संबंधी अधिनियम नियम एवं विनियम, इसके उद्देश्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन होगा। इसके बाद विकासखंड स्तर पर समिति बनाई जाएगी। समितियों में पांच सदस्य शामिल

जैव विविधता से होने वाले फायदों एवं उद्देश्यों और नियमों की दी जानकारी



रहेंगे। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के परामर्श और सहयोग से, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में जैविक संसाधनों का आविष्कार करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर लोगों की जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार होगी। उन्होंने आगे बताया कि वन्य जीवन और जैव विविधता

संरक्षण के लिए सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक है यदि यह व्यापक और स्थायी हो। जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैव विविधता पंजी तैयार करना है। इस पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान के साथ-साथ उनके चिकित्सीय और अन्य उपयोगों पर विस्तृत जानकारी का समावेश होगा। इसके अलावा मास्टर ट्रेनरों ने जैव विविधता के निर्माण, इससे होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, इसके प्रकार, उपयोग और संरक्षण सहित जैव विविधता से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय कुमार मिश्रा, सरपंच अटल ब्योहार, नमन चौरसिया, सुशील कोरी मौजूद थे।

गैर आदिवासी के नाम किये गये नामांतरण को कलेक्टर ने किया निरस्त आदिवासियों की जमीन हड़प करने वाले भूमाफियाओं में हड़कंप

हरिभूमि न्यूज़ | कटनी

ग्राम बडवारा स्थित खसरा नंबर 17 रकवा 0.60 हेक्टेयर आदिवासी के पट्टे की जमीन को अवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर गैर आदिवासी के नाम नामांतरण करवाकर भूमि की बिक्री करने के एक प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर कटनी ने गैर आदिवासी के नाम किये गये नामांतरण को निरस्त करते हुए मप्र भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत तहसीलदार बडवारा को उपरोक्त भूमि को अंतरिम व्यवस्था के तहत शासकीय मद में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर न्यायालय ने बडवारा स्थित भूमि खसरा नंबर 17 कुल रकवा 0.60 हेक्टेयर आदिवासी भूमि-स्वामी संतराम कोल के स्वत्व की भूमि मेहरूनिशा खान के नाम पर कैसे आई के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी कटनी को निर्देशित किया था। इसके बाद हल्का पटवारी को अभिलेखीय जांच हेतु पत्र जारी किया गया। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी कटनी



द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ ही मेहरूनिशा निवासी बडवारा, रमेश कुमार बजाज पिता नरसिंह दास बजाज निवासी हनुमानगंज कटनी के नाम भूमि-स्वामी स्वत्व में दर्ज है। जबकि यह जमीन वर्ष 1988-89 में आदिवासी संतराम कोल पिता हिंदरई के नाम दर्ज थी। इसके बाद फौती नामांतरण के माध्यम से यह जमीन गैर आदिवासी मेहरू निशा खान पति संतराम कोल साकिन देह भूमि के नाम पर दर्ज हो गई। चूंकि किसी व्यक्ति की जाति, जन्म के आधार पर तय होती है। इसलिए नियमतः आदिवासी की जमीन अल्पसंख्यक मेहरूनिशा के नाम पर नहीं होनी थी। मेहरूनिशा के नाम जमीन

यह है मामला

तत्कालीन पटवारी मोहन सिंह बरकडे द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया कि बडवाराकाला स्थित भूमि खसरा नंबर, 17

दर्ज हो जाने के बाद, मेहरूनिशा ने इसकी पावर आफ अटॉर्नी बडवारा निवासी आशीष कुमार गुप्ता को दे दी। जिन्होंने इस जमीन को रमेश कुमार बजाज पिता नरसिंह दास बजाज निवासी हनुमानगंज कटनी को भूमि बेंच दी। रमेश कुमार बजाज ने इस जमीन को 30 जुलाई 2014 को समिधा त्रिपाठी पति राजेश त्रिपाठी निवासी मदनमोहन चौबे वार्ड कटनी को बेंच दिया। इस प्रकार कलेक्टर न्यायालय ने एक आदिवासी की जमीन को अवैधानिक तौर पर गैर आदिवासी को बेचना पाये जाने पर नामांतरण निरस्त करते हुए भूमि शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया है।

कलेक्टर ने ये दिया आदेश

कलेक्टर न्यायालय ने इस प्रकरण में विधिसम्मत सूक्ष्म परीक्षण के बाद ग्राम बडवारा स्थित खसरा नंबर 17 रकवा 0.60 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण निरस्त करने और म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों के तहत अंतरिम व्यवस्था के रूप में भूमि शासन मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है।



पिकअप और बाइक के बीच हुई टक्कर, युवक की मौत

हरिभूमि न्यूज़ | कटनी

बुधवार को बडवारा थाना क्षेत्र के रोहनिया बाईपास के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में पिकअप और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक चालक को गंभीर चोटें आ गईं। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक बाइक क्रमांक एमपी 21 जेडवी 3201 का चालक युवक हादसे का शिकार हुआ है। मृतक युवक की पहचान करने की का प्रयास बडवारा पुलिस कर रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा मृतक की पहचान नहीं की जा सकी थी।

खबर संक्षेप

निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 12 मई को कटनी। श्री गहोई वैश्य समाज एवं शैलबी हॉस्पिटल, जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में जी.डी. मैमोरियल हॉस्पिटल, डन कालोनी, बरगवां कटनी में एक विशाल निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 12/5/24 दिन रविवार को रखा गया है। शिविर में शैलबी हॉस्पिटल जबलपुर के प्रसिद्ध अस्थिरोग रोग एवं ज्वाइंट रोग विशेषज्ञ डॉ. विकास सावला, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक तिवारी, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉ. एम. के. शेरकर, जनरल सर्जन डॉ. समीर सिंघई, मेडिकल विशेषज्ञ डॉ. नीरज बडौरिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु पाठक, केन्सर विशेषज्ञ डॉ. मालती भगत, एवं शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक चौदहा, डॉ. शोभित चौदहा, डॉ. अनमोल चौदहा, द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। ई.सी.जी., ब्लड शुगर, बी.एम.डी. टेस्ट निःशुल्क किया जावेगा इसके अतिरिक्त इटिरा आई.वी.एफ. सेंटर जबलपुर द्वारा निःसंतानता दंपति का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवागमन सलाह एवं ईलाज प्रदान किया जावेगा।

परीक्षा हेतु नियुक्त किया नोडल अधिकारी कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद ने एक आदेश जारी कर परीक्षा सत्र 2024-25 की परीक्षा हेतु अनिल कुमार चक्रवर्ती, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरंतीर विकासखण्ड रीठी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में नोडल अधिकारी श्री चक्रवर्ती को मण्डल द्वारा संचालित हाई स्कूल की कक्षा 10वीं एवं हायर सेकेंडरी 12वीं सहित स्थानीय परीक्षा 9वीं एवं 11 वीं के परीक्षा के सुधार लाने की कार्ययोजना तैयार करने के साथ ही अन्य गतिविधियों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।

आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 20 मई कटनी। जिले की शासकीय आईटीआई कटनी, बरही (बड़वारा), दीमरखेड़ा (उमरिया पान) रीठी, कैमोर, बहोरीबंद एवं विजयराघवगढ़ में संचालित एनसीसीटी, एससीसीटी व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल, स्टेनो हिन्दी, कोपा, ड्रेस मैकिंग, सोलर टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम अपने स्तर से अथवा एमपी ऑनलाइन के अधिकृत सहायता केंद्रों से आवेदन कर सकते हैं। शासकीय आईटीआई कटनी के प्राचार्य रंजीत कुमार रोहितास ने बताया कि प्रवेश विवरणिका कौशल विकास संचालनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता 8 वीं एवं 10 वीं है। प्रवेश की अंतिम तिथि 20 मई 2024 है। अधिक जानकारी हेतु अपनी नजदीकी आईटीआई में संपर्क किया जा सकता है।

अमीरगंज तालाब का कराया जा रहा सौंदर्यीकरण कार्य



कटनी। शासन के निर्देशानुसार झीलों के संरक्षण एवम विकास योजना अंतर्गत तथा वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जल संचयन के उपाय हेतु नगर निगम द्वारा विभिन्न जल स्रोतों के सफाई और पुनर्जीवन कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा बताया गया कि वर्तमान में अमीरगंज तालाब के उन्नयन, सौंदर्यीकरण क्षमता संवर्धन, गहरीकरण सहित साफ सफाई तथा जीर्णोद्धार हेतु सौंदर्यीकरण अंतर्गत लगभग एक करोड़ रूपए की राशि से कार्य जारी है। उक्त कार्य से वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जलस्तर बढ़ाने के साथ साथ उक्त तालाब के संरक्षण विकास और नागरिकों को बेहतर प्राकृतिक वातावरण प्रदाय किए जाने का प्रयास निरंतर जारी है।

बुधवार दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, तेज आंधी से विशाल पेड़ की शाखा टूटी बादल छाये और आंधी के साथ बारिश होने से खुशनुमा हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत

हरिभूमि न्यूज कटनी

बुधवार को दोपहर के बाद मौसम अचानक से बदल गया। आसमान में बादल छा गए। शाम करीब साढ़े पांच बजे से तेज हवाएं चलने लगीं। कहीं रिमझिम तो कहीं बारिश की तेज बौछारें पड़ीं। चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली। हल्की बारिश होने के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से लोगों के चेहरों भी मुस्कान देखी गईं।



बुधवार की शाम तेज आंधी तूफान के कारण पीरबाबा कटनी नदी पुल के समीप एक इमली के पेड़ की विशालकाय डाल टूट कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा गिरी। यह तो गनीमत रही कि जिस समय डाल टूट कर सड़क पर गिरी उस दौरान वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था यदि ऐसा होता तो एक गंभीर हादसा हो सकता था। इमली की विशालकाय डाल टूट कर सड़क पर गिरने के कारण आवागमन प्रभावित हो गया। इस बात की सूचना पुलिस को मिली। यातायात थाना

प्रभारी राहुल पांडे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत का कार्य शुरू कर दिया। यातायात कर्मियों की सक्रियता के चलते कुछ देर के अंदर ही सड़क पर टूटकर गिरी डाल को हटा दिया गया, जिससे आवागमन सुचारू हो गया। यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि बुधवार शाम लगभग साढ़े 5 बजे फोन पर सूचना मिली कि पीर बाबा कटनी नदी पुल के समीप एक इमली के पेड़ की बड़ी डाल टूटकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गई है जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन से प्राप्त



निर्देशों के आधार पर तत्काल टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए।

टहनी को हटाने के लिए तुरंत जेसीबी मशीन बुलवाई गई और मशीन की मदद से डाल को सड़क से हटाकर किनारे करवाया गया। समय रहते सड़क से डाल हटा लेने के कारण राहगीरों को ज्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा और जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी।

बारिश होने से आमजन को गर्मी से कुछ राहत मिली है। साथ ही मौसम भी सुहाना हो गया। बीते कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर व नीचे चल रहा था, जिससे भीषण गर्मी शरीर को झुलसा रही थी।

सामग्री उपलब्ध कराने एवं श्रमदान करने जताई स्वेच्छा

हरिभूमि न्यूज कटनी

जिला प्रशासन नगर निगम एवम शहर के नागरिकों द्वारा माई नदी को पुनर्जीवन प्रदान करने का एक व्यापक अभियान निरंतर चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन शहर के विभिन्न नागरिक आगे आकर श्रमदान कर अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशानुसार निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल एवं एसडीएम प्रदीप शुक्ला की की उपस्थिति में बुधवार को शहर के विभिन्न सामाजिक व अन्य संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान माई नदी पुनर्जीवन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई कि

माई नदी पुनर्जीवन अभियान को व्यापक स्वरूप देने विभिन्न संगठनों की बैठक



किस प्रकार से जनता को नदी सफाई के प्रति जागरूक करने तथा विभिन्न सामग्री नदी में विसर्जित करने तथा प्लास्टिक पॉलीथिन आदि पानी में न फेंकने हेतु जागरूक किया जा सकता है। साथ ही सभी उपस्थित नागरिकों एवम संगठनों के द्वारा माई नदी पुनर्जीवन के संबंध में अपने अपने सुझाव रखे एवं

पुनर्जीवन के दौरान लगने वाली विभिन्न सामग्री एवं उसकी उपलब्ध कराने में स्वेच्छा अनुसंधान सहयोग एवं श्रमदान हेतु अपनी स्वेच्छा व्यक्त की गई। उक्त बैठक में भार्गव मिनरल्स केमिकल संगठन के द्वारा 500 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर/ हाइड्रोक्साइड पाउडर प्रदाय कर

सीमांकन प्रकरणों के निपटारे के मामले में डीमरखेड़ा तहसील अग्रणी

सीमांकन प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले में लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान दो दिनों में अब तक 159 लंबित सीमांकन प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं। सीमांकन मामलों के निपटारे के नजरिए से डीमरखेड़ा तहसील जिले में अग्रणी है।

सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के मामले में जिले की डीमरखेड़ा तहसील पहले स्थान पर है। यहां मात्र दो दिनों में ही अब तक 26 सीमांकन मामले निपटाए जा चुके हैं। वहीं बड़वारा तहसील 25 सीमांकन मामलों का निपटारा कर दूसरे स्थान पर और रीठी तहसील

23 सीमांकन प्रकरणों को निराकृत कर तीसरे स्थान है। वहीं विजयराघवगढ़ और कटनी नगर तहसील सीमांकन प्रकरणों के निपटारे के मामले में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। इन दोनों तहसीलों में 19-19 सीमांकन प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं। स्लीमनाबाद तहसील 15 सीमांकन प्रकरणों के निपटारे के साथ पांचवें पायदान पर है, तो बरही तहसील ने 14 प्रकरण निराकृत कर छठवें स्थान पर और कटनी तहसील में दो दिनों में केवल 13 सीमांकन मामले निपटारे गये। जिले की बहोरीबंद तहसील सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में अंतिम पायदान पर है। यहां दो दिनों में सीमांकन के केवल 5 प्रकरण ही निराकृत हो सके हैं। कलेक्टर श्री प्रसाद ने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन प्रकरणों के निराकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि कलेक्टर श्री प्रसाद ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया था कि वर्तमान में गेहूं की फसल की कटाई की जा चुकी है ऐसे में जून माह तक खेतों के खाली रहने की ही संभावना है। यह स्थिति सीमांकन करने के लिए आदर्श और बेहतर स्थिति है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी इस सहज और अनुकूल स्थिति में लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की दिशा में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करें। ताकि सीमांकन के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण हो सके। इसके बाद सीमांकन प्रकरणों के निपटारे में तेजी आई है।

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

हरिभूमि न्यूज कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर लिफ्ट वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है। ऐसे ही दो वाहनों में गौण खनिज क्ले का ओवर लोड कर अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 95 हजार 860 रूपये का प्रशमन राशि जमा कराने के उपरांत वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत 1 मई 2024 को जिला सत्र न्यायालय कटनी के पास आकरिसिक निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 पी.ई. 5333 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, किशन कोल पिता मुन्ना कोल निवासी पडरोही विजयराघवगढ़, वाहन मालिक मनोज मिनरल्स ग्राइंडिंग कार्पोरेशन जितेंद्र कुमार पटेल निवासी वार्ड क्रमांक 2 अमहपारा सेजबहार रायपुर छत्तीसगढ़

खुले में शराब पीने वालों को सिखाया सबक



पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा तथा कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में बस स्टैंड पुलिस के द्वारा शराबियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की गई। चौकी प्रभारी अंकित मिश्रा ने बताया कि बीते दिनों एक शराबी द्वारा एक नाबालिक पर वीयर की बोलत से हमला किए जाने एवं उसके दूसरे दिन दो पक्षों के बीच खुनी संघर्ष की घटना सामने आने के बाद बस स्टैंड के समीप स्थित शराब दुकान के आसपास खुले में शराब पीने वाले शराबियों को खदेड़ा। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद शराब दुकान के आसपास सननाटा पसर गया। यह पहला अवसर था जब बस स्टैंड के समीप स्थित शराब दुकान के आसपास कोई शराबी दिखाई नहीं दिया, नहीं तो यहां पर हमेशा ही शराबियों का जमघट लगा रहता है।

वले का अवैध परिवहन पर दो वाहनों से वसूला 95860 रूपये का जुर्माना



द्वारा 3.10 टन ओवरलोड क्ले का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जप्त किया गया था। खनिज विभाग द्वारा उक्त कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 44 हजार 446 रूपये जमा करने की सूचना प्रेषित की गई।

एक अन्य प्रकरण में 1 मई को ग्राम गुलवारा के पास आकरिसिक जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 पी.ई. 4333 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, देवीदीन दाहिया पिता प्रेमलाल दाहिया निवासी गोरबई मेहर जिला सतना वाहन मालिक मनोज मिनरल्स नई बस्ती

कटनी 4.1 टन ओवरलोड क्ले का अवैध परिवहन करते पाए जाने वाहन को जप्त करने की कार्यवाही की गई। खनिज विभाग द्वारा उक्त कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 51 हजार 414 रूपये जमा करने की सूचना देने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जिसपर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से विगत 7 मई को प्रशमन शुल्क की राशि जमा कराई जाकर चालान की मूल प्रति के साथ दोनों प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

जुर्माना के बाद छोड़े गए वाहन

कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के तहत दोनों अनावेदकों द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की कुल राशि 95 हजार 860 रूपये जमा कर दिये जाने पर वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।



